प्रेस नोट जनपद बदायूँ - दिनांक 09.02.2026

#OperationConviction

> पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपहरण कर हत्या करने के मामले में एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व कुल 95,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 573/15 धारा 364/304/34/201 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 बनाम 1. हरनाम सिंह उर्फ कारीगर पुत्र सालिकराम निवासी मिहौना 2. लाखन पुत्र लल्लन सिंह निवासी घितौरा थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 श्री देवराज सिंह राठी द्वारा पूर्ण करते हुए सम्बन्धित माननीय न्यायालय बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 पिन्टू कुमार थाना उझानी द्वारा माननीय न्यायालय पॉक्सों कोर्ट-02 बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 09.02.2026 को माननीय न्यायालय ए.डी.जे. कोर्ट-10 बदायूँ द्वारा अभियुक्त हरनाम उर्फ कारीगर को धारा 304/364/201 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 95,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पैरवी करने वाले पैरोकार का0 पिंटू थाना उझानी तथा लोक अभियोजक श्री सुधीर कुमार मिश्रा तथा विवेचक उ0नि0 श्री देवराज सिंह राठी का योगदान सराहनीय रहा।

मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।